



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

R-3401-11/13

1. चंद्रिका प्रसाद वल्द श्री जमुनाप्रसाद
2. शांती देवी पति स्व. श्री रघुवंश प्रसाद

श्री शांती देवी आदि  
द्वारा आज दि. 10-9-13 को  
प्रस्तुत  
10-9-13  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

3. पवन कुमार
4. संतोष कुमार
5. विनोद कुमार
6. त्रियुगीनारायण
7. रामसिरोमणि
8. विद्यासागर
9. विजय कुमार
10. राजकुमार
11. विद्याशंकर
12. रामसागर

तीनों के पिता स्व. रघुवंश प्रसाद निवासी  
ग्राम नाऊनकला, तह.  
हनुमना, जिला-रीवा (म०प्र०)  
तीनों की माता बली श्रीमती शांतिदेवी दुबे

सातों के पिता श्री चंद्रिका प्रसाद दुबे  
ग्राम नाऊनकला, तह-हनुमना, व थाना  
-हनुमना, जिला-रीवा (म०प्र०)

पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

गंगामणि  
10-9-13

1. चूड़ामणि दुबे
2. हरिवंश प्रसाद दुबे
3. शेषमणि दुबे
4. महेशप्रसाद दुबे
5. अरुण कुमार दुबे
6. श्रीमती शुभद्रा
7. श्रीमती कौशिल्या
8. श्रीमती शांती
9. श्रीमती गीता
10. श्रीमती राजकुमारी
11. मथुरा प्रसाद दुबे
12. लालता प्रसाद दुबे

पाँचों के पिता स्व. गंगाप्रसाद दुबे  
निवासी-ग्राम नाऊनकला, तह. व  
थाना हनुमना, जिला-रीवा (म०प्र०)

पाँचों पुत्री स्व. गंगा प्रसाद दुबे  
निवासी-ग्राम नाऊनकला, तह. व  
थाना हनुमना, जिला-रीवा (म.प्र.)

दोनों के पिता स्व. जगन्नाथ  
निवासी-ग्राम नाऊनकला, तह. व  
थाना हनुमना, जिला-रीवा (म.प्र.)

P 001 00004

प्रसाद

श्री लक्ष्मी  
कलकत्ता  
10-9-13

उत्तर

तहसील  
10-9-13  
2-10-13  
10-9-13

13. ललित कुमार दुबे

14. अनिल कुमार दुबे

दोनों के पिता स्व. रामगरीब दुबे  
निवासी-ग्राम नाऊनकला, तह. व  
थाना हनुमना, जिला-रीवा (म.प्र.)

गैर पुनरीक्षणकर्तागण-उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण विरुद्ध प्र.क्र. 87A6/0/X 02 आदेश दिनांक

14.08.13 अनुविभागीय अधिकारी हनुमना, तह. हनुमना, जिला-रीवा, (म.प्र.) पुनरीक्षण अन्तर्गत म0प्र0 भू.रा.संहिता 1959 की धारा 50 के तहत पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य निम्न है:-

1. यह कि अपीलार्थी गंगाप्रसाद, वल्द जमुनाप्रसाद दुबे साकिन - नाऊनकला, तह. हनुमना, जिला-रीवा, (म.प्र.) के अधिनस्थ तहसीलदार हनुमना के प्रकरण क्रमांक 48A6/95/96 आदेश दिनांक 27.10.99 52A6/87/88 के विरुद्ध अधिनस्थ अनुविभागीय न्यायालय हनुमना में अपील प्रस्तुत किया है।
2. यह कि अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने से म्याद के बाहर अपील 90 दिन एवं 60 दिन कुल 150 दिन के बाद व आवेदन से मृतक अपीलार्थी गंगाप्रसाद के बजाय वारिशों को पक्षकार संयोजित करने हेतु अपीलार्थी का ज्येष्ठ पुत्र चुड़ामणि ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र का रेस्पाउंडेंट अभिभाषक ने जवाब पेश किया अपने जवाब में यह लेख किया कि आवेदन पत्र 19.08.10 को प्रस्तुत किया गया है, गंगाप्रसाद के ज्येष्ठ पुत्र चुड़ामणि एम.ए. पास पढ़ा-लिखा है उसे उसके मौखिक जानकारी देने से जो न्यायालय में पेश करने हमेशा तारीखों पर आया करता है उसके बताये अनुसार मृत्यु तारीख 25.03.2008 है।
3. यह कि अपीलार्थी गंगाप्रसाद के मृतक होने पर वारिशों को संयोजित करने का आवेदन पत्र जो पेश किया गया है उसमें मृत्यु की तारीख नहीं लिखी गई है। इस प्रकार उपसमीप हो जाने से आदेश 22 नियम 9 सी पी सी 1908 के तहत आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है म्याद अवधि प्राप्त करने के लिये अवधि विधान अधिनियम 1963 की धारा 5 का आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है, एवं शपथपत्र से समर्थित नहीं किया गया है, एवं तथा म्याद

प्राप्त करने के लिये उपयुक्त समाधान प्रद. कारण नहीं लिखा गया है। इसलिये म्याद अवधि प्राप्त नहीं की जा सकती है, और प्रकरण

रि. (क)

रि.



रि.

प्र.क्र. 87A6/0/X 02

रि. (क)

रि.

रि.

रि.

रि.

रि.

रि.

रि.

रि.

रि.

रि.

रि.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

(47)

प्रकरण क्रमांक PC 3406/III/13

चंडीगढ़ - 1/25/2018

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>डा. ज. एस. शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी - <u>ए. न. शर्मा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>87/19-6/10/102</u> में पारित आदेश दिनांक <u>14-8-13</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>श.वा.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/4/19</u> को कलेक्टर जिला <u>श.वा.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>W</u> सदस्य</p>	

W